¹[Section 38 : Communication of details of inward supplies and input tax credit

Section 38 substituted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022. Earlier to substitution it read as under:

"Section 38: Furnishing details of inward supplies

- (1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or, section 51 or section 52, shall verify, validate, modify or delete, if required, the details relating to outward supplies and credit or debit notes communicated under sub-section (1) of section 37 to prepare the details of his inward supplies and credit or debit notes and may include therein, the details of inward supplies and credit or debit notes received by him in respect of such supplies that have not been declared by the supplier under sub-section (1) of section 37.
- (2) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52, shall furnish, electronically, the details of inward supplies of taxable goods or services or both, including inward supplies of goods or services or both on which the tax is payable on reverse charge basis under this Act and inward supplies of goods or services or both taxable under the Integrated Goods and Services Tax Act or on which integrated goods and services tax is payable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and credit or debit notes received in respect of such supplies during a tax period after the tenth day but on or before the fifteenth day of the month succeeding the tax period in such form and manner as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing such details for such class of taxable persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of State tax or Commissioner of Union territory tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.

- (3) The details of supplies modified, deleted or included by the recipient and furnished under sub-section (2) shall be communicated to the supplier concerned in such manner and within such time as may be prescribed.
- (4) The details of supplies modified, deleted or included by the recipient in the return furnished under sub-section (2) or sub-section (4) of section 39 shall be communicated to the supplier concerned in such manner and within such time as may be prescribed.
- (5) Any registered person, who has furnished the details under sub-section (2) for any tax period and which have remained unmatched under section 42 or section 43, shall, upon discovery of any error or omission therein, rectify such error or omission in the tax period during which such error or omission is noticed in such manner as may be prescribed, and shall pay the tax and interest, if any, in case there is a short payment of tax on account of such error or omission, in the return to be furnished for such tax period:

Central Goods & Services Tax Act, 2017 Provided that no rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (2) shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such details pertain, or furnishing of the relevant annual return,

whichever is earlier."

¹|धारा 38 : आवक पूर्तियों और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना

(1) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों तथा ऐसे अन्य पूर्तियों, जो विहित किए जाएं, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे

"धारा 38 : आवक पूर्तियों के ब्यौरे देना

- (1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से मिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपनी आवक पूर्तियों और जमा या नामे नोट के ब्यौर तैयार करने के लिए यदि अपेक्षित हो, धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन संसूचित जावक पूर्तियों और जमा या नामे नोट से संबंधित ब्यौरे सत्यापित करेगा, उन्हें विधिमान्य करेगा, उपांतरित करेगा या हटाएगा और वह उसमें ऐसी पूर्तियों, जो धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन पूर्तिकार द्वारा घोषित् नहीं की गई हो, के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त आवक पूर्तियों और जमा या नामे नोट के ब्यौरे सम्मिलित कर सकेगा।
- (2) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलैक्ट्रॉनिक रूप में कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के, जिसके अंतर्गत माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियां, जिन पर इस अधिनियम के अधीन प्रतिलोम आधार पर कर संदेय है तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन माल या सेवा या दोनों कराधेय की आवक पूर्तियां भी हों या उन पूर्तियों के जिन पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन एकीकृत माल और सेवा कर संदेय है तथा कर अवधि के दौरान ऐसी पूर्तियों के संबंध में प्राप्त जमा या नामे नोट के ब्यौरे कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन के पश्चात् किन्तु पंद्रहवें दिन को या उससे पूर्व, ऐसे प्राप्त और रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा:

परन्तु आयुक्त, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अधिसूचना द्वारा कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उनमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

- (3) प्राप्तिकर्ता द्वारा उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई पूर्तियों के ब्यौरें और उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरे संबंधित पूर्तिकार को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगें।
- (4) धारा 39 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई विविरणी में उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई पूर्तियों के ब्यौरें संबंधित पूर्तिकार को ऐसी रीति में और ऐसी अविध के भीतर जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे।
- (5) कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने किसी कर अविध के लिए उपधारा (2) के अधीन ब्यौरे दिए हो और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन समेलित नहीं हो सके हो, जिसने किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अविध के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज यदि कोई हो, का संदाय करेगा:

परंतु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हो, के अंत के पश्चात्वर्ती सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के पश्चात्, इनमें जो भी पूर्वतर है, उपधारा (2) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।"

¹ वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा धारा 38 प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थी:

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

भाग—ा

अंतर्विष्ट करने वाला स्वत् जनित विवरण ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, ऐसे पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलैक्ट्रॉनिक ढंग से उपलब्ध करवाएं जाएंगे।

- (2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः जनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :
 - (क) आवक पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सके; और
 - (ख) पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में ऐसे प्रत्यय का लाभ प्राप्तकर्ता द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण, चाहे पूर्ण रूप से या भाग रूप से, निम्नलिखित द्वारा नहीं उठाया जा सकता,—
 - (i) रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा; या
 - (ii) किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अविध के लिए, जो विहित की जाए, निरंतर रहा है; या
 - (iii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा संदेय आउटपुट कर ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उक्त उपधारा के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार, ऐसी सीमा द्वारा, जो विहित की जाए, उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से अधिक है; या
 - (iv) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का लाभ लिया है, जो उस प्रत्यय से खंड (क) के अनुसार ऐसी सीमा तक अधिक है, जो विहित की जाए; या
 - (v) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है: या
 - (vi) ऐसे व्यक्तियों के अन्य वर्ग द्वारा, जो विहित किए जाएं।]